राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या 256/2010/टोंक
2. अपील संख्या 257/2010/टोंक

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–प्रथम, वृत टोंक। .....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स जगदीश आयल मिल,
झिराना जिला टोंक। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा, ...अपीलार्थी की ओर से.
उप राजकीय अभिभाषक।
प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित

निर्णय दिनांक : 12.09.2017

निर्णय

1. उपर्युक्त दोनों अपीलें अपीलार्थी विभाग की ओर से उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, कोटा (जिन्हें आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 29(8)(बी) के अन्तर्गत पृथक–पृथक प्रकरणों में पारित किये गये आदेश दिनांक 01.12.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। अपीलीय अधिकारी द्वारा इन अपीलों को स्वीकार किया गया है, जिनके विरूद्ध वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, वृत टोंक (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा यह अपीलें पेश की गई है उनका विवरण निम्न तालिका अनुसार है :–

अ.सं.	अ.अ. की अ. संख्या	क.नि.वर्ष	क.नि.आदेश दि.	कर	ब्याज
256/10	1/आरएसटी	1994–95	01.12.2007	19,667	3,38,126
257/10	2/आरएसटी	1995–96	01.12.2007	97,724	2,32,304

2. इन दोनों अपील प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जाकर निर्णय की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही हैं।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी का मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक10.05.1999 को पारित किया गया। प्रत्यर्थी ने उक्त अवधि में आरएसटी के अंतर्गत बिक्री कर प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त किया था, जिसे अस्वीकार करते हुए मूल कर निर्धारण आदेश पारित किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा मूल कर निर्धारण के विरूद्ध उपायुक्त (अपील्स) के यहां अपील किये जाने पर उपायुक्त अपील्स ने प्रकरण प्रतिप्रेषित किया। उक्त अपील आदेश की पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी के अधिकृत प्रतिनिधि ने जवाब प्रस्तुत किया प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट कर निर्धारण आदेश पारित किया। प्रत्यर्थी द्वारा राज्य में विक्रय किये खाद्य तेल पर 6 प्रतिशत का 75 प्रतिशत से कर का लाभ बिक्री कर प्रोत्साहन याजेना 1989 के अंतर्गत लिया जबकि अधिसूचना दिनांक 07.05.1990 के अनुसार तेल निर्माण करने वाली इकाईयों को इस योजना का लाभ आरएसटी के अंतर्गत किये गये विक्रय पर देय नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.02.1995

लगातार.....2

राजस्थान राज्य व अन्य बनाम मैसर्स गोपाल आयल मिल व अन्य ने यह निर्धारित किया है कि इस प्रकार की उद्योग यूनिट को दिनांक 04.04.1994 से पूर्व दिये गये लाभ की वसूली नहीं की जावे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के पश्चात पात्रता प्रमाण पत्र स्वतः ही संशोधित हो गया है एवं प्रत्यर्थी को केवल केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत किये गये विक्रय पर ही योजना का लाभ स्वीकार योग्य रह गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा उक्त योजना के तहत चाही गई छूट को अस्वीकार कर उक्त विक्रय पर 6 प्रतिशत की दर का 75 प्रतिशत से कर एवं इस पर ब्याज आरोपित किया गया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी ने अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की, अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी की अपीलें स्वीकार करते हुए आरोपित मांग राशियों को अपास्त कर दिया। जिनके विरूद्ध अधिनियम की धारा 83 के तहत विभाग द्वारा यह अपीलें कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई हैं।

3. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की एकतरफा बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने सशक्त अधिकारी के आदेश का समर्थन किया एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलीय अधिकारी के निर्णय दिनांक 30.11.2005 के द्वारा बिक्री कर प्रोत्साहन योजना में दिये गये प्रावधानों के अनुसार विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए शर्तों के उल्लंघन के कारण District Level Screening Committee से कर मुक्ति प्रमाण पत्र को निरस्त करने की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये थे परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 23.02.1995 के निर्णय राजस्थान राज्य बनाम मैसर्स गोपाल आयल मिल व अन्य के प्रकरण में दिनांक 04.04.1994 के बाद इस योजना का लाभ स्वीकार नहीं करने तथा दिनांक 04.04.1994 से पूर्व दिये गये लाभों की वसूली के निर्देशों के अनुसरण में प्रत्यर्थी की पात्रता प्रमाण पत्र को स्वतः ही संशोधित मानते हुए अपीलीय अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना करते हुए कर निर्धारण आदेश दिनांक 01.12.2007 को पारित कर प्रत्यर्थी पर कर व ब्याज का आरोपण किया गया जो अविधिक है। कर निर्धारण अधिकारी को अपीलीय अधिकारी के निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिये थी जिसका स्पष्ट उल्लंघन करते हुए उनके द्वारा निर्देशित विधिक प्रक्रिया नही अपनाई गई एवं कर निर्धारण आदेश पारित कर दिया गया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों को अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक रूप से अपास्त किया गया है। अपीलीय अधिकारी ने हस्तगत प्रकरण में विस्तृत आदेश पारित किया है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेशों में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अपीलीय अधिकारी के आदेशों को यथावत रखते हुए, विभाग की अपीलें अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनया गया।

12/9/17

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य